


—अपील नं० - ७७/२०१४
—अवकाश - १७/१७/१७

इतना लिखने के बाद अज अदालत के रिकार्ड रूम से मूल पत्रावली तलब की गई। हस्तगत पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र का है। हस्तगत प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि Power of Attorney पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। ना ही Power of Attorney के निष्पादन का भी कोई अंकन पत्रावली में किया गया है। हस्तगत पत्रावली एवं मूल पत्रावली वारंते रेस्टोरेशन में भी Power of Attorney की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में संलग्न शपथ-पत्र अज अदालत को संबोधित नहीं होकर सहायक जिलाधीश, शिव को संबोधित है। हस्तगत प्रार्थना-पत्र जिस आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है उसकी प्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। Power of Attorney के जरिये हस्तगत आवेदन जिस आदेश के विरुद्ध पेश किया गया उसके मुताबिक मूल अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है। प्रश्नगत मूल अपील के अपीलार्थी द्वारा अज अदालत में उपस्थित होकर अपील विद्धो करने का आवेदन पेश कर अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्रकरण को नहीं चलाने का तत्समय निवेदन किये जाने के बावजूद हस्तगत प्रकरण को जरिये रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र के चलाया जा रहा है जो अज अदालत की राय में औचित्यहीन प्रतीत होता है। साथ ही मूल अपील के निर्णय में अंकित है कि मुख्तियारकर्ता स्वयं के कथनानुसार मुख्तियार नामा को खंडित कर दिया गया है। जिस मुख्तियार नामा के आधार पर प्रार्थी / मुख्तियारकर्ता पैरवी कर रहा है, उसका आदिनांक को कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। जिससे हस्तगत आवेदन जरिये प्रश्नगत अस्तित्व विहीन मुख्तियार नामा के होने से हाजा न्यायालय की राय में पोषणीय प्रतीत नहीं होती है। उक्तानुसार प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र बिना विधिक दस्तावेज एवं त्रुटि युक्त दस्तावेज के अपील को अज अदालत के स्तर पर चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः जरिये Power of Attorney श्री तमाची खां द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील (विविध प्रार्थना-पत्र) को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।


11/8/2015
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बादमेर